न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–158 / 2024

प्रार्थीः–

सुगनकंवर उर्फ सुर्रेदरकंवर पुत्री भूपतसिंह पत्नि दलपतसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपुत निवासी (पीहर) बिजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा (राजस्थान) हाल निवासी (ससुराल) ग्राम ईस्माइलपुर, नरहर झुंझुनु (राजस्थान)

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा (राजस्थान)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री खीमाराम आकबल व हीराचंद सुथार अधिवक्ता प्रार्थिनी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.01.2026

प्रार्थिनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 126, 227 / 127 व 229 / 128 रकबा क्रमशः 0.1295, 5.7142 व 0.9308 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीजलिया तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थिनी का नाम "सुगनकंवर पुत्री भूपतसिंह" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थिनी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थिनी का नाम वास्तविक नाम "सुरेंदर कंवर पुत्री भूपतसिंह" दर्ज है इस प्रकार प्रार्थिनी का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त [illegible] प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 14:45:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज र[illegible] तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थिनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थिनी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''सुरेंदर कंवर पुत्री भूपतसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 126, 227/127 व 229/128 रकबा क्रमशः 0.1295, 5.7142 व 0.9308 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीजलिया तहसील सिवाना में प्रार्थिनी का नाम ''सुगनकंवर पुत्री भूपतसिंह'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थिनी का नाम ''सुरेंदर कंवर पुत्री भूपतसिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थिनी का नाम ''सुगनकंवर पुत्री भूपतसिंह'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''सुरेंदर कंवर पुत्री भूपतसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 126, 227/127 व 229/128 रकबा क्रमशः 0.1295, 5.7142 व 0.9308 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीजलिया तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम ''सुगनकंवर पुत्री भूपतसिंह'' के स्थान पर ''सुरेंदर कंवर उर्फ सुगनकंवर पुत्री भूपतसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)